संख्या:27/2018/957जेएल/22-3-18-100(36)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 मई, 2018***

विषय: जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/मा0 विधायक, कुलदीप सिंह सेंगर पुत्र स्व0 मुलायम सिंह एवं विचाराधीन महिला बंदी शशि सिंह पत्नी श्री हरिपाल सिंह को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16683/सामा-1(3)बं0स्था0मे0परि0/2018, दिनांक 04-05-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस अधीक्षक एवं शाखा प्रमुख, सी0बी0आई0, ए0सी0बी0, लखनऊ के पत्र संख्या-1733 आर0सी0-8(एस)/2018, दिनांक 03-05-2018 में किये गये अनुरोध पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध विचाराधीन बंदी/मा0 विधायक, कुलदीप सिंह सेंगर पुत्र स्व0 मुलायम सिंह एवं विचाराधीन महिला बंदी शशि सिंह पत्नी श्री हरिपाल सिंह को जिला कारागार, सीतापुर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या:27/2018/957जेएल(1)/22-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
4. जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव/सीतापुर।
5. पुलिस अधीक्षक एवं शाखा प्रमुख, सी0बी0आई0, ए0सी0बी0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-1733 आर0सी0-8(एस)/2018, दिनांक 03-05-2018 के सदंर्भ में।
6. पुलिस अधीक्षक, उन्नाव/सीतापुर।
7. अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव/सीतापुर।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in